BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 27 मार्च 2023

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 01.छोटे उर्फ सीताराम पुत्र लेखराम 02. इमरत पुत्र लेखराम 03. कामेश्वरी पत्नी लेखराम 04. लेखराम पुत्र छज्ज्न निवासीगण ग्राम रूठा थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में रचना की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने पर फांसी लगाकर निर्मम हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पर मुअसं-460/17 धारा- 323/324/304बी/498ए भादवि व 3/4 दहेज एक्ट पंजीकृत है। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 27.03.2023 को मा0 न्यायालय, एडीजे एफटीसी-03 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त छोटे, इमरत, कामेश्वरी,लेखराम को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी है।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री नितिन त्यागी व अजीत कुमार सक्सैना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर